बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

25 फाल्गुन, 1938 (श.)

वृहस्पतिवार, तिथि ----------

16 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 25

1.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	02
2.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	01
3.	समाज कल्याण विभाग	....	....	09
4.	जल संसाधन विभाग	....	....	03
5.	पर्यावरण एवं वन विभाग	....	....	01
6.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	02
7.	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	....	....	02
8.	परिवहन विभाग	....	....	01
9.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	03
10.	वित्त विभाग	....	....	01
			----------	----------
			कुल योग –	**25**

बांध का निर्माण

अ.* 58. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला की डुमरिया प्रखंड अंतर्गत नारायणपुर पंचायत के ग्राम-बागपुर में मनीसुंगरा एवं बरना पहाड़ों के बीच मनी नाला पर बांध नहीं रहने से दर्जनों गांव के किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु मनी नाला पर मनीसुंगरा एवं बरना पहाड़ के बीच बांध का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

दिनांक 02.03.17 ई. से स्थगित।

उचित न्याय

* 198. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत बंजरीया थाना के बथना गांव के निवासी भोला मुखिया को टेम्पू खरीदने हेतु पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लोन दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि भोला मुखिया को 1 अक्टूबर, 2014 को टेम्पू खरीदने के लिए पी.एन.बी. द्वारा 1 लाख 93 हजार लोन स्वीकृत किया गया तथा शेष मार्जिन मनी स्वयं भोला मुखिया द्वारा आनन्द ऑटोमोबाइल, प्रो. नंदलाल गुप्ता उर्फ आनन्द गुप्ता को ड्राफ्ट भेज दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भोला मुखिया को लोन पर टेम्पू देने के लिए आनन्द ऑटोमोबाइल ने 2 लाख 9 हजार एक सौ सत्ताईस रुपये का कोटेशन दिया था, परंतु पी.एन.बी. तथा भोला मुखिया द्वारा राशि जमा करने के बावजूद 2 वर्षों से टेम्पू नहीं दिया जा रहा है जिस क्रम में नगर थाना, मोतिहारी में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो भोला मुखिया को टेम्पू दिलाने तथा आनन्द ऑटोमोबाइल के प्रोपराईटर नंदलाल गुप्ता उर्फ आनन्द गुप्ता को गिरफ्तार करने एवं बैंक के ब्याज के साथ वसूल कर गरीब को उचित न्याय दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनियमितताओं की जांच

***** 199. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में मधुबनी जिला में पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का नियोजन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक वार्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में सेविका के चयन से संबंधित प्रोसीडिंग पर वार्ड अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद भी सेविका का चयन कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक 22.8.2016 को बसुआड़ा निवासी श्रीमती रंजू देवी तथा दिनांक 19.10.2016 को श्री दिनेश मुखिया ने सूचना के अधिकार के तहत केन्द्र संख्या-281 हेतु चयनित सेविका की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही पंजी, सम्यक् जांच की रिपोर्ट तथा प्रोसीडिंग की छायाप्रति की मांग की थी;

(घ) क्या यह सही है कि परियोजना पदाधिकारी द्वारा आज तक मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सेविका चयन प्रक्रिया में विभागीय स्तर से की गई अनियमितताओं की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई एवं उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पक्का नाला का निर्माण

***** 200. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर पंचायत के ग्राम-चोन्हा में गोवरदाहा नाला से टनकवार तक पक्की नहर नहीं रहने से दर्जनों गांव के किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि नाला डुमरिया एवं इमामगंज प्रखंडों के दर्जनों गांव को सिंचित करता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के हित में गोवरदाहा नाला से टनकवार तक पक्का नाला का निर्माण करना चाहती है, जिससे किसानों के खेतों में पानी आसानी से पहुंच सके?

पेंशन देने पर विचार

***** 201. **श्री मंगल पांडेय** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुविधा के अन्तर्गत 60 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से पेंशन देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय के बावजूद सिर्फ बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति को ही वृद्धापेंशन दिया जा रहा है, ए.पी.एल. परिवार के वृद्धों को इससे वंचित होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के निर्णय के अनुसार 60 वर्ष पूर्ण होने वाले सभी वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत पेंशन देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

नहर से कोई लाभ नहीं

***** 202. **श्री आदित्य नारायण पांडेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कटैया प्रखंड से निकलकर विशुनपुर उप-वितरणी नहर विजयीपुर के बेलवां तक जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से कटैया प्रखंड को छोड़कर विजयीपुर प्रखंड के किसी भी गांव में उक्त नहर का पानी नहीं जाता है, जिससे किसानों को नहर का कोई भी लाभ नहीं मिलता है जिससे उस क्षेत्र में खेती पर प्रतिकूल असर पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर का पानी किसानों के खेत तक कबतक पहुंचाने का कार्य कर रही है?

विकल्प की तलाश

***** 203. **श्री लालबाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पॉलिथिन एक पेट्रो उत्पाद है जो इंसान एवं जानवर दोनों के लिए जानलेवा है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार में पॉलिथिन का प्रयोग बंद किया जा चुका है, परन्तु इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि घटिया पॉलिथिन का प्रयोग सांस एवं त्वचा संबंधी रोगों के साथ कैंसर के खतरा को बढ़ाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार पूर्णरूपेण पॉलिथिन के प्रयोग को बंद करने एवं पॉलिथिन के स्थान पर नए विकल्प की तलाश करने हेतु कोई कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कैसे, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
प्लास्टिक कैरी-बैग जिसकी मुटाई पचास माईक्रोन से कम हो, का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग वर्जित है। इसके साथ-साथ पुन: चक्रित कैरी-बैग का उपयोग खाद्य पदार्थ के भंडारण एवं कैरी करने के लिए भी प्रतिबंधित है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नगर निकाय उत्तरदायी है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।
मानकों के अनुरूप निर्मित नहीं होने वाले पॉलिथिन का उपयोग से मानव स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

(घ) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
पॉलिथिन कैरी-बैग का प्रयोग प्रोत्साहित नहीं करने के लिए समाज के विभिन्न अंगों के बीच जागरूकता अभियान आवश्यक है।

इस आलोक में लागों से पॉलिथिन के विकल्प के रूप में जूट एवं कपड़ों के थैलों का उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***** 204. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड के ग्राम मेकरा, खाता नं. -471, खेसरा नं.-313, 314 में कब्रिस्तान अवस्थित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 2017-18 में वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी करना चाहती है ?

छात्रावास आवंटित कबतक

***** 205. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला के राज स्कूल परिसर में कल्याण विभाग ने पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए कई वर्ष पूर्व छात्रावास का निर्माण कराया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास के निर्माण के बाद भी अभी तक यह छात्रों को आवंटित नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दरभंगा जिला के राज स्कूल परिसर में निर्मित छात्रावास यथाशीघ्र छात्रों को आवंटित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नावों का निबंधन

***** 206. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में नाव से दुर्घटना न हो, इसके लिए वर्ष 2011 में नाव नियमावली बनाई गई थी लेकिन नियमावली को कड़ाई से लागू नहीं करने की वजह से राज्य में लगातार नाव दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि नियमावली बनने के कुछ महीने बाद पूरे राज्य में मात्र दो हजार नावों का निबंधन हुआ तथा इसके बाद से आज तक कोई निबंधन नहीं हुआ;

(ग) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में 600 खतरनाक नदी-घाट हैं जिसमें सिर्फ पटना में ही 31 खतरनाक नदी घाट हैं, परन्तु इन घाटों पर भी बेरोकटोक नाव चलाया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में नाव दुर्घटना न हो इसके लिए सभी खतरनाक घाटों को परिचालन युक्त बनाकर सभी नावों का निबंधन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं

***** 207. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि एटक से संबद्ध ईंट कामगार यूनियन, पूर्णिया, बीड़ी मजदूर यूनियन, पूर्णिया और भवन निर्माण कामगार यूनियन, पूर्णिया द्वारा वर्ष 2008 में ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 के तहत निबंधन के लिए आवेदन समर्पित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि श्रम अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा खंड 'क' में वर्णित यूनियनों द्वारा समर्पित नियमावली, पदाधिकारियों की सूची, यूनियन के सदस्यों की सूची आदि दस्तावेजों को सत्यापति कर श्रम अधीक्षक को समर्पित किया गया किन्तु आज तक उक्त यूनियनों का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित यूनियनों का निबंधन प्रमाण पत्र कबतक निर्गत करने का विचार रखती है तथा विलंब के दोषी

पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्थायी पदस्थापन

***** 208. **श्री सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला की आबादी 27 लाख से ज्यादा है और यह भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले में गृह रक्षावाहिनी के डीएसपी दूसरे जिले के चार्ज में हैं, जबकि यहां स्थायी रूप से गृह रक्षावाहिनी के डीएसपी रहते आये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सीमांचल क्षेत्र रहने के कारण कानून-व्यवस्था के लिए गृह रक्षावाहिनी के जवान ही विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित हैं तथा कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो विभाग स्थायी डीएसपी को पदस्थापित करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनियमितता की जांच

***** 209. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा एवं हलसी प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा सेविकाओं के चयन में भारी अनियमितता बरती गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पदाधिकारियों ने अपने-अपने प्रखंड में आंगनबाड़ी केन्द्र सेविका, सहायिका चयन में काफी अनियमितताएं बरती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रोन्नति देने पर विचार

***** 210. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं. एवं ज्ञापांक-564, दिनांक 17.02.2014 के द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के कुल 13 कर्मचारियों को स्थायी पद पर सम्पुष्ट किया गया था और वे श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के दावेदार थे;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यालय आदेश सं.-10, दिनांक 13.10.2016 के द्वारा 25 योग्य उम्मीदवारों में से 23 उम्मीदवारों को प्रोन्नति दी गई है लेकिन उनमें से श्री प्रेमचन्द्र राम एवं सुमित कुमार, पैन्ट्री लिपिकों को प्रोन्नति से वंचित रखा गया और श्रम संसाधन विभाग के ज्ञापांक-97, दिनांक 11.01.2017 के द्वारा प्रोन्नति नहीं दिए जाने की मंशा के उद्देश्य से उनकी सेवा सम्पुष्टि को भी रद्द कर दिया गया है, जो नियम के प्रतिकूल है;

(ग) क्या यह सही है कि सेवा सम्पुष्ट होने की तिथि तक बिहार सचिवालय भोजशाला की सेवाशर्त नियमावली नहीं रहने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र सं.-1557, दिनांक 02.05.1972 के दिशा-निर्देश के आधार पर बगैर कम्प्यूटर एवं लेखा परीक्षा के उत्तीर्ण किए ही कर्मचारियों को सम्पुष्ट करने का प्रावधान रखा गया था, जिसके तहत खंड 'ख' में वर्णित दोनों कर्मियों की सेवा सम्पुष्ट की गई थी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार सचिवालय भोजशाला के लिपिकों (प्रेमचन्द्र राम एवं अमित कुमार) की सम्पुष्टि पुन: बहाल करने एवं उन्हें श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।
उल्लेखित कार्यालय आदेश सं.-05, दिनांक 14.02.2014-सह-पठित ज्ञापांक-564, दिनांक 17.02.2014 द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला के 13 कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि की गई थी। क्रमांक-13 पर श्री प्रेमचन्द्र राम, पैन्ट्री लिपिक का नाम अंकित था।
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्त्ती नियमावली, 1990) में प्रोन्नति हेतु किये गये प्रावधान एवं निर्धारित अर्हता में से सेवा सम्पुष्टि भी एक आवश्यक अर्हता है।

(ख) बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी भर्त्ती नियमावली, 1990 में श्रमायुक्त के नियंत्रणाधीन वर्ग-03 (तीन) के कार्यरत कर्मियों को जो श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद के वेतनमान से कम वेतन पाते हैं, को श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। श्रम प्रवर्त्तन

पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु निम्न प्रावधान एवं अर्हतायें निर्धारित हैं :-

(I) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में श्रमायुक्त, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के वैसे कर्मचारी जो श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के स्वीकृत वेतनमान से कम वेतनमान में कार्यरत हों, उन्हें प्रोन्नति योग्य माना जाएगा।

(II) प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण निर्धारित है।

(III) श्रेणी-03 के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने श्रमायुक्त, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 05 वर्षों की लगातार सेवा की हो।

(IV) अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।

(V) सेवा सम्पुष्ट हो।

(ग) श्रमायुक्त के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय के निम्नवर्गीय लिपिकों को श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के क्रम में विधिवत् प्रक्रियानुसार 25 योग्य कर्मियों की सूची तैयार की गई थी तथा इसे प्रकाशित भी किया गया था। श्री अमित कुमार एवं श्री प्रेमचन्द्र राम दोनों पैन्ट्री लिपिक, बिहार सचिवालय भोजशाला का नाम भी क्रमांक-24, 25 पर शामिल था।

विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 06.10.16 को सम्पन्न बैठक में इन्हें भी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के विषय पर चर्चा हुई थी। समिति के कई सदस्यों द्वारा यह बात रखी गई कि ये कर्मी क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मी नहीं हैं। ये सचिवालय संलग्न कार्यालय के कर्मी के श्रेणी में आते हैं। इस कारण से इन्हें प्रोन्नति हेतु विचारित करने योग्य नहीं पाया गया और उक्त बैठक में मात्र 23 कर्मियों को ही प्रोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया और तद्नुसार कार्यालय आदेश सं.-10, दिनांक 13.10.2016-सह-पठित ज्ञापांक-4686, दिनांक 13.10.2016 द्वारा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई।

इन दोनों के संदर्भ में आदेश सं.-97, दिनांक-11.01.2017 जो इन दोनों के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के दावे को अस्वीकृत किये जाने/पूर्व की सेवा सम्पुष्टि के आदेश को रद्द करने से संबंधित था, विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए निर्गत किया गया है। यह आदेश विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 28.11.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय/पूर्व की सेवा सम्पुष्टि आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं.-609, दिनांक 29.05.2011 में कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने/लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के आलोक में पूर्व की सेवा सम्पुष्टि आदेश को गलत मानते हुए इन दोनों से पत्रांक-5092, दिनांक 05.12.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पूछकर उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा कर निर्गत किया गया था। कार्रवाई नियमानुसार की गई है। जानबूझ कर इन्हें प्रोन्नति से वंचित नहीं किया गया है।

श्री प्रेमचन्द्र राम, श्री अमित कुमार दोनों पैन्ट्री लिपिक, बिहार सचिवालय भोजशाला की पूर्व में कार्यालय आदेश सं.-05, दिनांक 11.02.2014-सह-पठित ज्ञापांक-564, दिनांक 17.02.2014 तथा कार्यालय आदेश सं.-01, दिनांक 10.01.2014-सह-पठित ज्ञापांक-145, दिनांक 15.01.2014 द्वारा निर्गत सेवा सम्पुष्टि का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं.-1609, दिनांक 29.05.2011 के आलोक में नियमानुसार निर्गत नहीं किया गया था, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं.-1609, दिनांक 29.05.2011

में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बिना कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हुए समूह-'ग' के कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि नहीं की जानी है। श्री प्रेमचन्द्र राम, श्री अमित कुमार, पैन्ट्री लिपिक को लेखा परीक्षा भी उत्तीर्ण होना था, जो ये नहीं हुए हैं। इस प्रकार ये प्रोन्नति के पात्र नहीं हैं।

(घ) उपरोक्त खंडों में दिये गये उत्तर के आलोक में इनके संदर्भ में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

समिति का गठन

***** 211. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय मानव व्यापार विरोधी समन्वय समिति बनाने की सलाह दी है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में मानव व्यापार एक गंभीर समस्या है;

(ग) क्या यह सही है कि मानव व्यापार रोकने एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने 'अस्तित्व' नाम से राज्य कार्ययोजना बनाई है;

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर मानव व्यापार विरोधी समन्वय समिति बनाना था जिसका गठन अभी तक नहीं किया गया;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यस्तरीय एवं जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समन्वय समिति का गठन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं ता क्यों ?

पेंशन का लाभ

***** 212. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में यह निर्णय लिया था कि वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा;

(ख) क्या यह सही है कि वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा तय निर्धारण से संबंधित पत्र आज तक जिलों में नहीं भेजा जा सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क की मरम्मती

***** 213. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी किरण चौक से रिंग बांध होते हुए अम्बेदकर चौक तक की सड़क की स्थिति काफी जर्जर एवं गड्ढा होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त रिंग बांध की सड़क की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सा भत्ता का भुगतान

***** 214. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जीवन के अंतिम ढलान पर पहुंच चुके सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को मात्र दो सौ रुपये चिकित्सा भत्ता के रूप में दिया जाता है, इतनी कम राशि में किसी भी बीमारी का इलाज कतई संभव नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पांच सौ रुपये चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मचारियों को न्यायिक सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों की भांति 2006 से 15 सौ रुपये चिकित्सा भत्ता का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

उत्तर - (क) उत्तर अंशत: स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि वेतनमान/पेंशन पुनरीक्षण के आलोक में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर वित्त विभगीय संकल्प सं.-1084, दिनांक 04.08.2014 के द्वारा राज्य के

सेवारत कर्मियों तथा पेंशनभोगियों को दिनांक 01.08.2014 के प्रभाव से 200/- (दो सौ रुपये) प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं.-944(14), दिनांक 20.08.2014 के द्वारा बिहार सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों एवं उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किय गया है।

(ख) कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-4/25/2008 पी. एंड पी.डब्ल्यू.(डी), दिनांक 19.11.2014 के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता 500 रु. प्रतिमाह दिया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 2006 से 1500 रु. चिकित्सा भत्ता का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

छात्रावास छात्रों को आवंटित नहीं

***** 215. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास बना है;

(ख) क्या यह सही है कि छात्रावास 5 वर्ष से भी अधिक वर्ष से बना है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रावास में रहने के लिए छात्रों को आवंटित नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि छात्रों को रहने और पढ़ने में काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक छात्रावास छात्रों को रहने के लिए आवंटित करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

केन्द्र अभी तक नहीं

***** 216. **श्री रणविजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि युवाओं के लिए राज्य सरकार ने अपने सात निश्चय योजना के तहत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास केन्द्र खोल रही है;

(ख) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला में बेरोजगार युवकों की संख्या काफी है तथा उक्त केन्द्र अभी तक नहीं खोला गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि भोजपुर जिला में बेरोजगार युवकों हेतु कितने कौशल विकास केन्द्र खोले गये हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत 240 घंटे का कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है तथा इन कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है। भोजपुर जिले में अभी तक कुल 11 केन्द्रों के माध्यम से कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें आरा सदर में 4, जगदीशपुर में 2, उदवंतनगर में 1, तरारी में 1, कोईलवर में 2 तथा संदेश में 1 केन्द्र प्रारंभ कर दिया गया है, शेष प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण की योजना है।

(ग) ऊपर के खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

केन्द्र संचालन कराने पर विचार

***** 217. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के 18 प्रखंडों की पंचायतों में आंगनबाड़ी स्वीकृत केन्द्रों पर सेविका एवं सहायिकाओं का चयन नियमपूर्वक कर प्रशिक्षण दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की चयनित सेविकाओं एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिलाने के पश्चात एवं 6 माह की अवधि समाप्त हो जाने के बाद चयनित सेविकाओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने आई.सी.डी.एस. के संकल्प सं.-2354, दिनांक-17.05.2013 को नजरअंदाज कर टाइम वार्ड के बावजूद अपील वाद को अस्वीकृत न कर सुनवाई की गयी, जिसके कारण 90 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं हो रहा है तथा केन्द्र संचालन नहीं होने के कारण कुपोषित बच्चों एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार एवं टेक होम राशन के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेतिया, शशिकांत पासवान के द्वारा अनियमित ढंग से स्वीकृत किए गए अपील वादों की जांच कराकर उनके विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई करते हुए शीघ्र अपील वाद में अंकित 90 केन्द्रों को प्रशिक्षण प्राप्त सेविकाओं एवं सहायिकाओं से केन्द्र संचालन कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पुनर्वास नीति बनाने पर विचार

***** 218. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 के जुलाई में वैशाली जिला के अनवरपुर की रहने वाली लड़की तेजाब हमले का शिकार हो गई थी जिसने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली;

(ख) क्या यह सही है कि मानवाधिकार आयोग की पहल पर तेजाब पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा नीति बनाने का फैसला लिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पुनर्वास का मकसद तेजाब पीड़ितों को तनाव से बाहर लाने में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर मदद करना था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनर्वास नीति बनाने एवं मानक संचालन प्रणाली तय करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बांध का जीर्णोद्धार

***** 219. **डा. जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिलान्तर्गत बाराहाट अंचल के राजस्व ग्राम गोडघोवा में मदेगरी जमींदारी बांध है जिसका खाता 111, खेसरा क्रमश: 823, 24, 25 तथा रकबा 04 एकड़ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में रहने के कारण राजस्व ग्राम गोडघोवा के अलावे अन्य गांवों के किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कबीर अंत्येष्टि अनुदान

***** 220. **श्रीमती नूतन सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला पैसा कई महीनों से पंचायत में नहीं भेजा जा रहा है, क्यों ?

पैसों की बंदरबांट

***** 221. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड की नारायणपुर पंचायत के रामपुर ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका कई वर्षों से केन्द्र पर नहीं आती हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से हर माह सेविका एवं सी.डी.पी.ओ. की मिलीभगत से मध्याह्न भोजन के पैसे को बांट लिया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 16 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्